



PM/VI/2012-13/OG-GO/

To

The Director of Treasuries and Accounts
4th floor Rajaram Building
Tilak Road Abids
Hyderabad

Sir,

Sub:- Forwarding of Orders relating DR 80% from 01.01.2013 to
Uttarpradesh Pensioners.

Ref:- 1. Circular No Pen(Misc)/DR/ 515 LID14415.14420
dated 19.07.2013 of the AG(A&E) II UP Allahabad.
2. Govt. of UP OM No Sa-3-479/X-2013-301/2000TC
dated 29.05.2013.

I am herewith enclosing a Special Seal Authority issued by the Accountant General (A&E) II, Uttarpradesh, Allahabad in the reference cited. The same is being placed in this office official website (www.ag.ap.nic.in). You are requested to direct all the District Treasury Officers to download the orders and take necessary action at the earliest to minimize hardship to the pensioners.

Yours faithfully,

Sr. Accounts Officer

Copy To

Joint Director,
M J Road, Jambagh
Pension Payment Office,
Nampally,
Hyderabad

for information and necessary action.

Sr. Accounts Officer

482988175

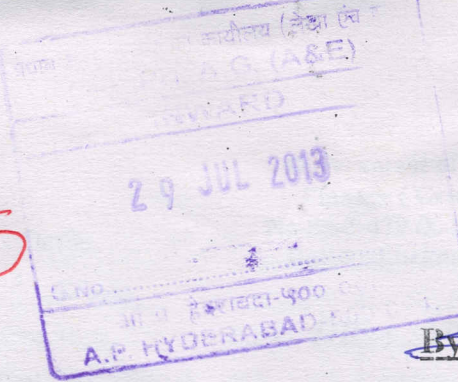
222



सत्यमेव जयते

285547

1418115



By Speed Post

Office of the Accountant General (A&E)-II, UP
20, Sarojini Naidu Marg, Allahabad 211001
Phones: Off. 2622525 26 Fax; 0532-2624402

Under Special Seal

Circular No:- Pension (Misc.)/Dearness Relief/

515

Dated: 19/07/2013

LID-14415.14420.

To,

The Accountant General (A&E),
Saifabad.....

Amhara Pradesh

.....Hajalabad

500004

Subject:- 1. Grant of DR@80% to U.P.govt's. civil pensioners/family pensioners-
Revised rate.w.e.f. 01/01/2013
2.. Grant of DR@166% to U.P.govt's. civil pensioners/family pensioners-
Revised rate.w.e.f. 01/01/2013 on unrevised pension.

I am forwarding herewith copy of Order:-

- 1- No. Sa-3-479/X-2013-301/2000 T.C. dt. 2/05/2013 reg. Grant of D.R. @80 % to U.P.Government's civil /family pensioners w.e.f 01-01-2013 ,
- 2.-No.-Sa-629/10-2013-301/2000 T.C. Dated 10-06-2013 for D.R. @ 166% to U.P. governments civil /family pensioners on his/her unrevised pension w.e.f 01-01-2013. for necessary action please.

Encl:- As stated above

Yours Faithfully,

Srivastava

(Subhash Chandra Srivastava)
Accounts Officer/Pension

PM

उत्तर प्रदेश शासन
वित्त (सामान्य) अनुभाग-3
संख्या-सा-3-479/दस-2013-301/2000टी0सी0
लखनऊ : दिनांक : 29 मई, 2013

कार्यालय - ज्ञाप

विषय: राज्य सरकार के सिविल / पारिवारिक
पेंशनरों आदि को महंगाई राहत की
स्वीकृति।

अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश
हुआ है कि उपर्युक्त विषय पर वित्त विभाग के
कार्यालय-ज्ञाप संख्या-सा-3-1563/दस-
2012-301/2000 टी0सी0, दिनांक 06 नवम्बर,
2012 जिसके द्वारा महंगाई राहत दिनांक 01
जुलाई, 2012 से 72 प्रतिशत स्वीकृत की गयी
थी, के कम में राज्यपाल महोदय द्वारा, औसत
उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में इस बीच हुई वृद्धि
की प्रतिपूर्ति हेतु उक्त संदर्भित कार्यालय-ज्ञाप
दिनांक 06 नवम्बर, 2012 में उल्लिखित दरों
का संशोधन करते हुए दिनांक 01 जनवरी,
2013 से महंगाई राहत की 08 प्रतिशत की एक
और किश्त दिये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान
की गयी है।

2- पेंशनरों को अनुमन्य महंगाई राहत में
दिनांक - 01 जनवरी, 2013 से 08 प्रतिशत
की उपर्युक्त बढ़ोत्तरी के फलस्वरूप पेंशन पर
अनुमन्य महंगाई राहत की दर 72 प्रतिशत से
बढ़कर 80 प्रतिशत हो जायेगी।

3- महंगाई राहत की ऐसी धनराशि जो
एक रुपये के आधे से कम आगणित होगी, उसे
नजरअंदाज कर दिया जायेगा, जबकि आधे
अथवा आधे से अधिक को पूर्ण रुपये के रूप में
लिया जायेगा।

4- यह आदेश उच्च न्यायालय के
न्यायाधीशों, स्थानीय निकायों तथा सार्वजनिक
उपक्रम आदि के सेवकों पर लागू नहीं होंगे।
उनके संबंध में संबंधित विभागों द्वारा अलग से
आदेश निर्गत किया जाना अपेक्षित होगा।
अखिल भारतीय सेवाओं के पेंशनरों /
पारिवारिक पेंशनरों के संबंध में आदेश पृष्ठांकन
संख्या-सा-3- जी0आई0-06/ दस-2013-
301/2000, दिनांक 07 मई, 2013 द्वारा जारी
किए जा चुके हैं।

14420

UNIQUE NO.

Co-ordination Pen

SECTION Pen. (Mise)

Government of Uttar Pradesh
Finance (General) Section-3
No-Sa-3-479/X-2013-301/2000 T.C.
Dated : Lucknow: 29 May, 2013

Office - Memorandum

Subject : Grant of dearness relief to State
Government's civil / family
pensioners.

The undersigned is directed to refer
to the office memorandum No. Sa-3-
1563/X-2012-301/2000 T.C. dated
November 06, 2012 on the above
mentioned subject, sanctioning additional
instalment of dearness relief with effect
from July 01, 2012 and to say that the
Governor is pleased to further enhance by
08 percent, with effect from January 01,
2013, the rate of dearness relief
admissible to all civil / family pensioners
of this Government to compensate them
for the rise, in the meanwhile, in the
average consumer price index.

2- As a consequence of the above-
mentioned 08 percent rise, the dearness
relief payable on the pension will rise
from existing 72 percent to 80 percent
with effect from January 01, 2013.

3- In the calculation of dearness relief,
fraction of a rupee less than its half shall
be ignored while half or more shall be
counted as one rupee.

4- These orders will not be applicable to
the Judges of High Court, employees of
local bodies and public undertakings /
corporations etc. in respect of
whom separate orders will be issued by
respective departments. Orders in
respect of All India Service pensioners/
family pensioners have been issued vide
endorsement number G-3-G.I.-06/X-
2013- 301/2000, dated May 07, 2013.

---2/---

5- यह आदेश शिक्षा / प्राविधिक शिक्षा विभाग के अन्तर्गत राज्य निधि से सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के ऐसे पेंशनरों, जिन्हें शासकीय पेंशनरों के समान पेंशन / पारिवारिक पेंशन अनुमन्य है, पर भी लागू होंगे।

6- शासन के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-ए-1-252/ दस-10(3)-81, दिनांक 27 अप्रैल, 1982 में निर्गत आदेशानुसार पेंशन पर अतिरिक्त राहत आदि के भुगतान के लिए महालेखाकार के प्राधिकार-पत्र की आवश्यकता नहीं है। अतः पेंशन भुगतान अधिकारियों द्वारा इस कार्यालय-ज्ञाप के आधार पर ही उपरोक्तानुसार अनुमन्य महँगाई राहत का भुगतान कर दिया जायेगा।

7- महँगाई राहत स्वीकृति करने के संबंध में अन्य शर्तें एवं प्रतिबन्ध, जो इससे संबंधित पूर्व शासनादेशों में निर्धारित हैं, पूर्ववत् लागू रहेंगे।

(अजय अग्रवाल)
सचिव, वित्त।

सेवा में,

उ0प्र0 शासन के समस्त प्रमुख सचिव / सचिव, विभागाध्यक्ष, कार्यालयाध्यक्ष, कोषाधिकारी एवं पूर्व में उल्लिखित अन्य सभी अधिकारीगण।

5- These orders will also be applicable to pensioners of institutions aided from State Fund, under the Education / Technical Education Departments, whose pension / family pension is at par with that of the pensioners of the State Government.

6- As per orders issued in O.M. No. A - 1- 252 / X- 10 (3)- 81, dated April 27, 1982 the Accountant General's authority is not necessary for payment of relief of pension and as such the payment of dearness relief shall be made by the concerned pension disbursing authorities on the basis of this office memorandum alone.

7- Other terms and conditions regarding grant of dearness relief laid down in earlier Government orders shall remain applicable as before.

(Ajay Agarwal)
Secretary, Finance.

To,

All Principal Secretaries / Secretaries to Government of Uttar Pradesh, Heads of Departments / Offices, all Treasury Officers and other officers as per previous distribution list.

उत्तर प्रदेश शासन
वित्त (सामान्य) अनुभाग-3
संख्या:सा-3- 629/दस-2013-301/2000टी0सी0
लखनऊ : दिनांक : 10 जून, 2013

कार्यालय-ज्ञाप

विषय :- वेतन समिति उत्तर प्रदेश, 2008 की संस्तुतियों के आधार पर अपुनरीक्षित पेंशन / पारिवारिक पेंशन की धनराशि पर महंगाई राहत की स्वीकृति।

उपर्युक्त विषयक कार्यालय-ज्ञाप संख्या-सा-3-1563(1)/दस-2012 -301/2000टी0सी0, दिनांक 06 नवम्बर, 2012 द्वारा जिन पेंशनरों / पारिवारिक पेंशनरों की पेंशन की धनराशि पुनरीक्षित नहीं हुई है या संबंधित कार्मिक ने पुनरीक्षित वेतनमान में वेतन निर्धारित नहीं कराया है और तदनुसार उन्हें अपुनरीक्षित वेतन के आधार पर पेंशन स्वीकृत हुई है, को पेंशन पर महंगाई राहत दिनांक 01-07-2012 से 151 प्रतिशत की दर से स्वीकृत की गयी थी, के कम में उक्त श्रेणी के पेंशनर/पारिवारिक पेंशनरों को महंगाई राहत दिनांक 01 जनवरी, 2013 से 166 प्रतिशत की दर से अनुमन्य होगी।

2- यह भी स्पष्ट किए जाने की अपेक्षा की गयी है कि ऐसे सेवानिवृत्त कर्मचारियों, जिन्हें अपुनरीक्षित अनन्तिम पेंशन मिल रही है, को उपरोक्तानुसार उल्लिखित दरों पर महंगाई राहत अनुमन्य होगी।

3- क्योंकि अनन्तिम पेंशन एवं उस पर महंगाई राहत का भुगतान अधिष्ठान बिलों पर आहरित करके किया जाता है, इसलिए यह प्रशासकीय विभागों का दायित्व होगा कि वे उपरोक्त प्रस्तर-2 में उल्लिखित व्यवस्था के अनुसार अनन्तिम पेंशन की धनराशि पर महंगाई राहत की गणना करके भुगतान करें।

4- अतः उपरोक्त श्रेणी के पेंशनरों / पारिवारिक पेंशनरों तथा अनन्तिम पेंशन प्राप्त सेवानिवृत्त कर्मचारियों को तदनुसार महंगाई राहत का भुगतान सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

अजय अग्रवाल
सचिव, वित्त।